न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 22.08.2022

जरिये रामभजन मीना,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 राजेश मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– श्री आशीष कुमार पाल,अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 06.02.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. राजेश मिष्ठान भण्डार, छावनी चौराहा टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई / नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 9 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एव गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 9 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलन पर	शुद्व गैस

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

01	216205	(IOC)	14.2	15.8	15.9	.1
02	0003001	(IOC)	14 2	16.5	30.6	14.1
03	96Part- 1	(IOC)	14.2	16.3	30.4	14.1
04	09521J	(IOC)	14.2	15.8	29.9	14.1
05	7092991	(IOC)	14.2	16.0	16.8	.8
06	27244P	(IOC)	14.2	16.5	18.8	2.3
07	382698I	(IOC)	14.2	16.4	29.9	13.5
08	189017	(IOC)	14.2	17.1	17.4	.3
09	0333—I	(IOC)	14.2	15.9	16.0	.1
						59.4

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 59.4 Kg एलपीजी, रबर पाईप,मय रेगुलेटर व गैस चूल्हा को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनाक 04.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. राजेश मिष्ठान भण्डार, छावनी चौराहा टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 9 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 9 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा सहित मौके

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 59.4 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक बुन्देल एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज महावर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 59.4 Kg एलपीजी, रबर पाईप,मय रेगुलेटर व गैस चूल्हा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अभिभाषक अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 04.08.2022 के अनुसार मै0 राजेश मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 9 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस चूल्हा सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	216205	(IOC)	14.2	15.8	15.9	.1
02	0003001	(IOC)	14.2	16.5	30.6	14.1
03	96Part- 1	(IOC)	14.2	16.3	30.4	14.1
04	09521J	(IOC)	14.2	15.8	29.9	14.1
05	7092991	(IOC)	14.2	16.0	16.8	.8

कार्यालय कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

06	27244P	(IOC)	14.2	16.5	18.8	2.3
07	3826981	(IOC)	14.2	16.4	29.9	13.5
08	189017	(IOC)	14.2	17.1	17.4	.3
09	0333–1	(IOC)	14.2	15.9	16.0	.1
						59.4

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर राजेश कुमार पाल,हेमराज व शकंर के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी राजेश कुमार पाल,शकंर तथा हेमराज के हस्ताक्षर है। टोंक बुन्देल गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज महावर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है का घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाध सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 6 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 59.4 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)